बैंक की 23वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का परिशिष्ट

बैंक की 23वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का परिशिष्ट जो शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025 को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय समयानुसार) केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का मानित स्थल) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा.

सदस्यों,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 25 जून, 2025 की 23वीं वार्षिक महासभा बैठक (एजीएम) की 25 जून, 2025 की सूचना शामिल है, जो शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली है, बैंक के उन सभी शेयरधारकों को 09 जुलाई, 2025 को ईमेल के माध्यम से प्रसारित की गई है, जिनकी ईमेल आईडी बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास पंजीकृत हैं. उक्त सूचना बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों जैसे एनएसई और बीएसई और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइटों पर भी होस्ट की गई है. एजीएम की सूचना के मद संख्या 5 के लिए अर्थात मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिवों की बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति, सचिवीय लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक 90,000 रुपये प्रति वर्ष प्लस लागू टैक्स होगा.

उक्त नोटिस के प्रेषण के बाद, श्री रोहन चंद ठाकुर को केंद्र सरकार द्वारा 24 जुलाई, 2025 की अधिसूचना ईएफ.सं. 6/2(iv)/2022-बीओ.आई के तहत बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 17(1सी) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाना है कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए.

तदनुसार, निम्नलिखित कारोबार मद को विशेष कार्य के रूप में उक्त नोटिस में मद संख्या 6 के रूप में विशेष कारोबार जोड़ा जाता है.

विशेष कारोबार :

मद संख्या. 6:

श्री रोहन चंद ठाकुर (डीआईएन: 07944078) को बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ या उसके बिना साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(बी) के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.नं. 6/2(iv)/2022-बीओ.आई दिनांकित 24 जुलाई, 2025 के माध्यम से श्री रोहन चंद ठाकुर का बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामांकन जो 24 जुलाई, 2025 से प्रभावी है और अगले आदेश तक, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर इसे मंजूरी दी जाती है."

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.07.2025

(मंगेश मांद्रेकर)
कंपनी सचिव

टिप्पणियाँ :

1. बैठक के कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.
2. यह परिशिष्ट 25 जून, 2025 की मूल सूचना और उसमें दिए गए टिप्पणियों एवं व्याख्यात्मक विवरण का अभिन्न अंग माना जाएगा.
3. यह परिशिष्ट बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगा.
4. आगामी 23वीं वार्षिक महासभा बैठक के लिए निर्धारित और लागू वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में भाग लेने से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ, नोट्स और निर्देश, वार्षिक महासभा बैठक की सूचना के इस परिशिष्ट में प्रस्तावित प्रस्ताव पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे. इसके अतिरिक्त, आगामी 23वीं वार्षिक वार्षिक महासभा बैठक के लिए नियुक्त संवीक्षक, 23वीं वार्षिक वार्षिक महासभा बैठक की सूचना के इस परिशिष्ट में प्रस्तावित संकल्प के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे.

व्याख्यात्मक विवरण:

मद संख्या. 6:

श्री रोहन चंद ठाकुर (डीआईएन: 07944078) बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में

श्री रोहन चंद ठाकुर को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं.

6/2(iv)/2022-बीओ., दिनांक 24 जुलाई, 2025 के तहत तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित की जानी आवश्यक है .

अतः, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों व शर्तों पर, श्री रोहन चंद ठाकुर को बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है.

संक्षिप्त परिचय :

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पहले, श्री रोहन चंद ठाकुर हिमाचल प्रदेश कैडर के 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं. वर्तमान में, वे वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज, दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक और आईआईएम अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है . उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है (हमीरपुर और शिमला के जिला आयुक्त के रूप में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में निदेशक के रूप में, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम और हिमाचल सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में, आबकारी एवं कराधान आयुक्त आदि के रूप में) .

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंध : शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद : शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता/अध्यक्षता : शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण: श्री रोहन चंद ठाकुर का बैंक के किसी भी मौजूदा निदेशक के साथ कोई संबंध नहीं है.
- कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता: अर्थशास्त्र, प्रबंधन, वित्त और बैंकिंग
- सेबी या किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश के आधार पर उन्हें निदेशक का पद धारण करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है.
- बैंक के व्यवसाय के संदर्भ में श्री रोहन चंद ठाकुर के आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार बैंक के बोर्ड में निदेशक का नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है.

श्री रोहन चंद ठाकुर को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से कोई हित या सरोकार नहीं है .

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए इस साधारण प्रस्ताव की अनुशंसा करता है .

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

Mangesh Mandrekar

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.07.2025

(मंगेश मांद्रेकर)
कंपनी सचिव

Addendum to the Notice of 23rd Annual General Meeting

ADDENDUM TO THE NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING OF THE BANK scheduled to be held on Friday, 1st August, 2025 at 11.00 am (IST) at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

To the Members,

Union Bank of India

The Integrated Annual Report of the Bank for the FY 2024-25 including the Notice dated June 25, 2025 of 23rd Annual General Meeting (AGM) dated June 25, 2025, scheduled to be held on Friday, August 01, 2025 at 11.00 am (IST) through VC / OAVM has been circulated by way of an email on July 09, 2025 to all the Shareholders of the Bank whose email IDs are registered with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. KFin Technologies Ltd. The said Notice has also been hosted on websites of the Bank, Stock Exchanges viz. NSE and BSE and e-voting service provider. For Item No. 5 of the Notice of AGM i.e. Appointment of M/s Ragini Chokshi & Co., Company Secretaries as a Secretarial Auditor of the Bank for a period of 2 years from FY2025-26 to FY 2026-27, the payable remuneration to the Secretarial Auditor will be Rs. 90,000 per annum plus applicable taxes.

After the dispatch of the said Notice, Shri Rohan Chand Thakur has been nominated by the Central Government as Government Nominee Director of the Bank vide its notification eF.No. 6/2(iv)/2022-BO.I dated July 24, 2025.

As per the Second proviso to Regulation 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, it is to be ensured that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting.

Accordingly, the following item of business is added in the aforesaid Notice as Item No. 6 as a Special Business.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 6:

Nomination of Shri Rohan Chand Thakur (DIN : 07944078) as Government Nominee Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Second Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the nomination of Shri Rohan Chand Thakur vide Government of India's Notification eF.No. 6/2(iv)/2022-BO.I dated July 24, 2025 as Government Nominee Director of the Bank w.e.f. July 24, 2025 and until further orders, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India."

By order of the Board of Directors
For **UNION BANK OF INDIA**

Place: Mumbai
Date: 25.07.2025

(Mangesh Mandrekar)
COMPANY SECRETARY

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.
2. This addendum shall be deemed to be an integral part of the original Notice dated June 25, 2025 and the notes & explanatory statement provided therein.
3. This Addendum will also be available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com on the website of National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and also on the website of KFintech at https://evoting.kfintech.com
4. All the processes, notes and instructions relating to attending AGM through VC/OAVM and e-voting / remote e-voting set out for and applicable for the ensuing 23rd AGM shall mutatis-mutandis apply for the resolution proposed in this Addendum to the Notice of AGM. Furthermore, the Scrutinizers appointed for the ensuing 23rd AGM will act as Scrutinizers for the Resolution proposed in this Addendum to the Notice of 23rd AGM.

EXPLANATORY STATEMENT:

Item No. 6:

Shri Rohan Chand Thakur (DIN : 07944078) as Government Nominee Director of the Bank

Shri Rohan Chand Thakur has been nominated as the Government Nominee Director of the Bank under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. 6/2(iv)/2022-BO.I dated July 24, 2025 with immediate effect and until further orders.

In terms of Second Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the appointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the nomination of Shri Rohan Chand Thakur as Government Nominee Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Brief Profile :

Prior to joining Union Bank of India, Shri Rohan Chand Thakur is an officer of Indian Administrative Service (IAS) belonging to 2009 batch of Himachal Pradesh Cadre. At present, he is working as Director in Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India. He is an economics graduate from St. Stephen's College, Delhi and a Postgraduate in Management from IIM Ahmedabad. He has a rich experience of more than 15 years with Government of Himachal Pradesh (as a District Commissioner of Hamirpur and Shimla, as a Director in the Department of Information Technology, as a Managing Director of Skill Development & Entrepreneurship Department, Himachal Pradesh Financial Corporation and Himachal Road Transport Corporation, as a Excise and Taxation Commissioner etc.).

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: NIL
- Disclosure of relationship between directors inter-se : Shri Rohan Chand Thakur doesn't have any relationship with any of the existing Directors of the Bank.
- Expertise in functional areas : Economics, Management, Finance & Banking
- He is not debarred from holding the office of Director by virtue of order of SEBI or any other such authority.
- The skills/expertise/capabilities of Shri Rohan Chand Thakur as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly nomination of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Rohan Chand Thakur, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

By order of the Board of Directors
For **UNION BANK OF INDIA**

Mangesh Mandrekar

Place: Mumbai
Date: 25.07.2025

(Mangesh Mandrekar)
COMPANY SECRETARY